


दिनांक 24.05.24 को पेश हो

५

१३५

आंशभाषकगण उपस्थित । पीठासीन अधिकारी  
अन्य कार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है । ज्ञापनी  
दिनांक 24.05.24 को पेश हो ।

24.05.2024:-पत्रावली आज पेशी में आई। प्रार्थी वकील  
उपस्थित नहीं आए। प्रार्थी का मूल वादपत्र अदम  
हाजरी में खारिज हो गया। मूल वाद पत्र खारिज  
होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष  
नहीं रह जाती। इसलिए अस्थाई निशेषाज्ञा को  
वर्तमान स्तर पर निरस्त कर उक्त प्रार्थना-पत्र  
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में वर्तमान स्तर पर  
खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की  
जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलेक्टर

एव उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ़

